EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1740—1745

Dated 26-7-2003

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंककारी शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई 2003

सा.का.नि. 268.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 20घ की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' से—

(i) अपीलार्थी के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उसकी ओर से केन्द्रीय सरकार को कोई अपील उपस्थित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) बोर्ड के संबंध में, बोर्ड द्वारा, बोर्ड की ओर से संकल्प द्वारा इन नियमों के अधीन किसी अपील में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपसंजात होने, अभिवाक करने और कार्य करने के लिए सम्यक् रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(iii) अपील के किसी अन्य पक्षकार के संबंध में, ऐसे पक्षकार द्वारा उसकी ओर से उपसंजात होने, अभिवाक करने और कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) ''बोर्ड'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित लघु उद्योग बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''लघु उद्योग बैंक'' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है;

(ङ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) ''पक्षकार'' से कोई ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के समक्ष कोई अपील फाइल करता है, और प्रत्यर्थी अभिप्रेत है;

(छ) ''नियम'' से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ज) अन्य पदों के, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: अधिनियम में हैं।

3. **अपील का प्ररूप.**—अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपील अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन किए गए बोर्ड के इंकार आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को की जाएगी।

4. **वह अवधि जिसके भीतर अपील की जानी है.**—(1) किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अपील अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन किए गए बोर्ड के इंकार आदेश के उसको संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील की जाती है, इसके साथ किसी शपथ पत्र से समर्थित जिसमें वे तथ्य जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है केन्द्रीय सरकार का यह समाधान करते हुए कि उसके पास उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न किए जाने के पर्याप्त कारण थे, एक आवेदन लगा होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील न किए जाने के पर्याप्त कारण हैं, वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् किन्तु उसे बोर्ड का इंकार आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पूर्व अपील ग्रहण कर सकेगी।

5. फीस का संदाय.—(1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ 500 रु. की फीस होगी।

(2) फीस की रकम भुगतान और लेखा अधिकारी (बैंकिंग) के पक्ष में आहरित एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी:—

"0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं"

"502 - सेवा एवं सेवा शुल्क"

6. अपील की विषय वस्तु.— (1) नियम 3 के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील अंग्रेजी या हिंदी में लिखी जाएगी और सुभिन्न शीर्षों के अधीन संक्षिप्ततः अपील के आधार दिए जाएंगे जिन्हें क्रमशः संख्यांकित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अपील प्ररूप में दो प्रतियों में फाइल की जाएगी और उसके साथ बोर्ड के इंकार किए जाने के उस आदेश की एक सत्यापित प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, शपथ पत्र और अपील के आधारों के समर्थन में अन्य दस्तावेज होंगे।

7. प्रतिनिधित्व करने का अधिकार.— (1) अपीलार्थी और अपील का प्रत्येक अन्य पक्षकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपसंजात हो सकेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के समक्ष बोर्ड का प्रतिनिधित्व उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा।

(3) अपील की सुनवाई आरम्भ होने से पूर्व किसी व्यक्ति को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाते हुए प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के पास फाइल किया जाएगा।

8. अपील फाइल करने की प्रक्रिया.— (1) केन्द्रीय सरकार को कोई अपील, या तो अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी और उसे सचिव, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अपील केन्द्रीय सरकार को उस तारीख को की गई समझी जाएगी जिसको वह सचिव, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में प्राप्त हो जाती है।

9. सूचना या दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना.— (1) केन्द्रीय सरकार, अपील पर विचार करने से पूर्व, अपील के किसी पक्षकार से ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) पक्षकार, ऐसे आदेश से तीस दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त की जाए, ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

10. अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान का संसूचित किया जाना.—केन्द्रीय सरकार, अपील पर विचार करने से पूर्व, संबद्ध पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान संसूचित करेगी और बोर्ड को ऐसी संसूचना के पूर्व या उसके साथ अपील की सूचना भी भेजेगी।

11. अपील की सुनवाई.— (1) नियत की गई तारीख को या किसी ऐसी अन्य तारीख को जिसको सुनवाई आस्थगित की जा सकेगी, अपीलार्थी की अपील के समर्थन में सुनवाई की जाएगी। केन्द्रीय सरकार फिर, यदि आवश्यक हो, बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि और अपील के किसी पक्षकार की सुनवाई करेगी और उस दशा में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा।

(2) जब अपील की सुनवाई के लिए बुलाया गया है, अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात नहीं होता है, उस दशा में केन्द्रीय सरकार अपील को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकेगी :

परन्तु यदि ऐसा अपीलार्थी या ऐसा प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी आवेदन पर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके उपसंजात न होने के पर्याप्त कारण हैं, जब अपील की सुनवाई के लिए बुलाया गया है, तब केन्द्रीय सरकार एकतरफा खारिज किए जाने को अपास्त करते हुए आदेश पारित कर सकेगी और अपील को बहाल कर सकेगी।

12. केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश.—(1) केन्द्रीय सरकार, अपील की सुनवाई करने और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो अपील को खारिज कर सकेगी, या

(क) वह निदेश देते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगी कि शेयरों का अन्तरण बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और बोर्ड आदेश प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा; या

(ख) लघु उद्योग बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर का अनुसमर्थन का निदेश देते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगी;

(ग) अपने स्वविवेकाधिकार से, ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगी जिसे वह ठीक और उचित समझे।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश लिखित में, हस्ताक्षरित और तारीख सहित होगा और सम्बद्ध पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 17(5) 2001-आईएफ-II]

एम. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

प्ररूप

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(केन्द्रीय सरकार को अपील)

(नियम 3 देखिए)

अपील का प्ररूप

प्रेषक

(यहां अपीलार्थी का नाम और पता उल्लिखित करें)

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,

आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय,

नई दिल्ली।

महोदय,

उपर्युक्त नाम का अपीलार्थी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 20 घ की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन पारित लघु उद्योग बैंक के बोर्ड के इंकार आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर यह अपील करता है।

तथ्य

यहां मामले के तथ्यों का संक्षिप्ततः उल्लेख करें । बोर्ड द्वारा इंकार किए जाने के आदेश की सत्यापित प्रति, एक शपथ पत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेजों, यदि कोई हों, की प्रतियां प्रस्तुत करें।

आधार

(उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर अपील की गई है)

प्रार्थना

उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि उसे निम्नलिखित अनुतोष अनुदत्त किया जाए।

मांगा गया अनुतोष

(यहां मांगा गया अनुतोष विनिर्दिष्ट करें)

इस अपील की फीस के रूप में .... रुपये की रकम भारतीय स्टेट बैंक की शाखा .... में चालान सं. .... तारीख .... द्वारा जमा कर दी है

(अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2003

G.S.R. 268.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 20D of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short Title and commencement :**—(1) These rules may be called the Small Industries Development Bank of India (Appeal to the Central Government) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(b) "authorized representative" means—

(i) in relation to an appellant, a person duly authorized by the appellant to present an appeal on his behalf to the Central Government;

(ii) in relation to the Board, a person duly appointed by the Board by resolution as authorized representative to appear, plead and act on behalf of the Board in any appeal under these rules;

(iii) in relation to any other party to the appeal, a person duly authorized by such party to appear, plead and act on his behalf;

(c) "Board" means the Board of Directors of the Small Industries Bank constituted under Sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) "Small Industries Bank" means the small Industries Development Bank of India established under Section 3 of the Act;

(e) "Form" means the form appended to these rules;

(f) "party" means a person who files an appeal before the Central Government and the respondent;

(g) "rules" means the rules made under the Act;

(h) other expressions, which are not defined here, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Form of Appeal :**—Every appeal under Sub-section (3) of Section 20D of the Act shall be preferred by any person aggrieved by an Order of refusal of the Board made under Sub-section (2) of Section 20D to the Central Government in the Form.

4. **Time within which appeal is to be preferred.**—(1) An appeal shall be preferred by the aggrieved person within a period of thirty days from the date of communication to him of the order of refusal of the Board made under sub-section (2) of section 20D of the Act.

(2) When the appeal is preferred after the expiry of the period of thirty days specified in sub-rule (1), it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period of thirty days;

Provided that if the Central Government is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the aforesaid period, it may, for reasons to be recorded in writing, admit the appeal after the expiry of the aforesaid period but before the expiry of forty five days from the date of communication to him of the order of refusal of the Board.

5. **Payment of fees.**—(1) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(2) The amount of fees shall be deposited through a Bank Draft drawn in favour of Pay & Accounts Officer (Banking) and deposited with the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi under the Major head—

"0070—Other administrative services"

"502—Service and Service Fees"

6. **Contents of appeal.**—(1) Every appeal filed under rule 3 shall be written in English or Hindi and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal which shall be numbered consecutively.

(2) Every appeal shall be filed in the Form in duplicate and shall be accompanied by a certified copy of the order of refusal of the Board appealed against, affidavit and other documents to support the grounds of appeal.

7. **Right to representation.**—(1) An appellant and every other party to the appeal may appear before the Central Government in person or through their authorized representatives.

(2) The Board shall be represented before the Central Government through its authorized representative.

(3) Authorisation empowering a person to act as an authorized representative shall be filed with the Central Government before the commencement of the hearing of the appeal.

8. **Procedure for filing appeal.**—(1) An appeal shall be preferred either by the appellant in person or his authorized representative to the Central Government and the same shall be addressed to the Secretary to the Government of India, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Company Affairs, New Delhi by registered post.

(2) An appeal under sub-rule (1) shall be deemed to have been preferred to the Central Government on the date on which it is received in the office of the Secretary to the Government of India, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Company Affairs, New Delhi.

9. **Furnishing of information or documents.**—(1) The Central Government may, before considering the appeal, require any party to the appeal, to furnish such further information and documents as it considers necessary.

(2) The parties shall furnish such information and documents within thirty days of such order or such further period as may be granted by the Central Government.

10. **Date and place of hearing of appeal to be communicated.**—The Central Government shall communicate, before considering the appeal, to the parties concerned, the date and place of the hearing of the appeal and shall also send a notice of the appeal to the Board either before or with such communication.

11. **Hearing of appeal** .—(1) On the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal. The Central Government shall then, if necessary, hear the authorized representative of the Board and any other party to the appeal and in such case the appellant shall be entitled to reply.

(2) In case the appellant does not appear in person or through an authorized representative when the appeal is called for hearing, Central Government may dismiss the appeal for default :

Provided that if such appellant or such authorized representative on an application satisfy the Central Government that there was sufficient cause for his non-appearance, when the appeal was called for hearing, the Central Government may make an order setting aside the ex-parte dismissal and restore the appeal.

12. **Orders by the Central Government.**—(1) The Central Government may after considering the appeal and making such further enquiry as it considers necessary, either dismiss the appeal; or

(a) pass an order directing that the transfer of shares shall be registered by the Board and the Board shal comply with such order within thirty days of the receipt of the order ; or

(b) pass an order directing the rectification of the register of shareholders of the Small Industries Bank ; or

(c) in its discretion, pass such other orders as it may be deem fit and just.

(2) The order passed under sub-rule (1) above, shall be in writing, signed and dated and shall be communicated to the concerned parties.

[F. No. 17 (5)/ 2001-IF-II]

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

FORM

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

(Appeal to the Central Government)

(see rule 3)

Form of Appeal

From :

(Mention the name and address of the appellant here)

To

The Secretary to the Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance.
New Delhi.

Sir,

The Appellant named above, begs to prefer this appeal under Sub-section (3) of Section 20D of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), against Order of refusal of the Board of Small Industries Bank passed under the said Act, on the following facts and grounds.

2026 Fin/03 – 2.

FACTS

(Mention briefly the facts of the case here. Enclose certified copy of the order of refusal by the Board, an affidavit and copies of other relevant documents, if any.

GROUNDS

(Mention here the grounds on which the appeal is made)

PRAYER

In the light of what is stated above, the appellant prays that he/she/it may be granted the following relief.

RELIEF SOUGHT

(specify the relief sought)

The amounts of Rs. ——————as fees for this appeal has been deposited vide challan No. ——————dated——————with——————branch of the State Bank of India.

(Signature of the Appellant or
his authorized representative)

MGIPRRND—2026 Fin/2003—100 Copies